कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक- 22.06.2026

थाना धीना पुलिस टीम द्वारा गोवध अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अभियुक्त ने स्वीकार किया कि आर्थिक लाभ के उद्देश्य से गोवंशों को एकत्रित कर वध भेजा जाता था।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 09.04.2026 को एक मैजिक लोडर नीले रंग का वाहन मे एक राशि गोवंश वध हेतु लादकर मैजिक का चालक नीरज पुत्र राम अशिष निवासी ग्राम अटौली थाना धानापुर जनपद चन्दौली वध हेतु बिहार ले जा रहा था कि चौकी प्रभारी महुजी द्वारा मुखबीर खास की सूचना पर बघरी मस्जिद के पास से वाहन चालक को मय एक राशि गोवंश के साथ गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0सं0सं0 30/2026 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कराया गया जिसमें अभियुक्त अभयलाल बिन्द पुत्र रामानन्द राम निवासी ग्रा0 बहेरी थाना धीना जनपद चन्दौली उम्र 24 वर्ष वांछित था।

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक दिलीप श्रीवास्तव थाना धीना के नेतृत्व में थाना धीना पर गोवध निवारण अधिनियम में वांछित चल रहे अभियुक्त अभयलाल बिन्द पुत्र रामानन्द राम निवासी ग्रा0 बहेरी थाना धीना जनपद चन्दौली उम्र 24 वर्ष को पाण्डेयपुर मेढान से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मै अपने मामा धर्मराज बिन्द पुत्र अमरदेव बिन्द निवासी ग्राम अटौली थाना धानापुर जनपद चन्दौली व मामा के गांव का ही एक लडका नीरज पुत्र रामअशीष के साथ मिलकर अपने घर ग्राम बहेरी से मामा के साथ मैजिक लोडर वाहन संख्या UP67BT6096 जो मामी धर्मावती के नाम से था, मे एक गाय लोड कराये थे और मैं नीरज को लालच दिया था कि तुम्हारे बडे पिताजी की लडकी की शादी मे जो तुम्हारा खर्च होगा उसे मै पूरा करूगा और कहा की तुम इसे लेकर जमानिया की तरफ चलो इसे कहां पहुँचाना है हम लोग बाद मे फोन से बतायेगें कुछ ही देर बाद बता चला की नीरज को अवही की पुलिस पकड ली है । अभियुक्त द्वारा बताया गया कि हम लोग एक-एक राशि गोवंश को बिहार ले जाकर इकट्ठा करते है। औऱ जब बड़ी गाड़ी भरकर गोवंश हो जाते है तो वहा से बड़ी गाड़ी में लादकर वध हेतु पन्डुआ पश्चिम बंगाल भेजवा देते है जहा पर गोवंश को बेचकर अच्छा मुनाफा हो जाता है ।

<u>आपराधिक इतिहास</u>

1.मु0सं0सं0 30/2026 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना धीना जनपद चन्दौली।

□यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस द्वारा लगातार कड़ी विधिक कार्यवाही जारी।

□नेशनल हाइवे व चंधासी कोयला मंडी सहित विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में चलाया गया सघन चेकिंग अभियान।

□विशेष अभियान अवधि (विगत 07 दिवस) में कुल 3,631 वाहनों का चालान कर 58,40,400 रूपये का भारी जुर्माना किया गया अधिरोपित।

□बिना हेलमेट के अंतर्गत रिकॉर्ड 1232 वाहनों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर 12.32 लाख रुपये का वसूला गया अर्थदंड।

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में जनपद की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़, सुगम, सुरक्षित और जाममुक्त बनाने हेतु पूरे जनपद में "विशेष चेकिंग अभियान" निरंतर चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यातायात पुलिस चन्दौली द्वारा आलमपुर, चंधासी कोयला मंडी, नेशनल हाइवे एवं जनपद के अन्य सभी प्रमुख व व्यस्त मार्गों पर अवैध पार्किंग, बिना हेलमेट, ओवरस्पीडिंग और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के विरुद्ध व्यापक स्तर पर कठोर कार्रवाई की गई।

यातायात पुलिस टीम ने सड़कों पर अनधिकृत रूप से वाहन खड़े कर आवागमन बाधित करने वाले तथा नियमों की धज्जियाँ उड़ाने वाले चालकों को चिन्हित किया। इस विशेष अभियान अवधि दिनांक 15.06.2026 से 21.06.2026 तक व्यापक स्तर पर कार्यवाही करते हुए कुल 3,631 वाहनों के विरुद्ध चालान की विधिक प्रक्रिया पूरी की गई, जिसके तहत कुल 58,40,400 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अभियान के दौरान बिना हेलमेट के अंतर्गत सर्वाधिक 1,232 चालान (जुर्माना ₹12,32,000) किए गए। इसके अतिरिक्त, खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वाले 62 मामलों, नो पार्किंग के 1,211 मामलों तथा तीन सवारी बैठाकर चलने वाले 151 चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई। साथ ही, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 02 वाहनों को मौके पर सीज भी किया गया।

दिनांक 15.06.2026 से 21.06.2026 तक कुल 471 ट्रकों का चालान नो पार्किंग में किया गया जिसमें कुल 8,53,500 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया।

ब्रेथ एनलाइजर के माध्यम से शराब पीकर वाहन चलाने वाले (मदिरा पीकर वाहन चलाना) 01 वाहन चालकों के विरुद्ध भी कड़ी विधिक कार्यवाही अमल में लाई गई। कार्यवाही के साथ-साथ पुलिस टीम द्वारा सभी चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने, मादक पदार्थों का सेवन कर वाहन न चलाने, तय सीमा से अधिक सवारी न बैठाने तथा प्रेशर हॉर्न व मॉडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग न करने हेतु जागरूक व सचेत किया गया।

♦ थाना सैयदराजा पुलिस द्वारा में 01 महिन्द्रा बोलेरो पिकअप वाहन (संख्या सं0 BR24GC4673) से कुल 618 लीटर अवैध देशी/अंग्रेजी (18 पेटी देशी शराब ब्ल्यू लाईम एवं 38 पेटी किंगफिशर स्ट्रांग बीयर) को बरामद कर मौके से दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

♦ बरामद अवैध शराब की अनुमानित कीमत लगभग 70 लाख रुपये।

चन्दौली- अपर पुलिस महामहानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया व पुलिस उपमहानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी श्री वैभव कृष्ण के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आकाश पटेल द्वारा जनपद मे अवैध शराब की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर, अनन्त चन्द्रशेखर व क्षेत्राधिकारी सदर, देवेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष सैयदराजा अशोक कुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम जेठमलपुर ओवरब्रिज NH-19 के उ0 लेन कट पवन टी स्थल के पास चेकिंग के दौरान वाहन संख्या सं0 BR24GC4673 महिन्द्रा बोलेरो पिकअप से 15 भूसी की प्लास्टिक की बोरियो के नीचे 18 पेटी देशी ब्ल्लू लाईम शराब (प्रत्येक पेटी मे 45 पाऊच एवं प्रत्येक पाऊच मे 200 ML) एवं 38 पेटी किंगफिशर स्ट्रांग बीयर (प्रत्येक पेटी मे 24 केन एवं प्रत्येक केन मे 500 ML) बरामद कर मौके से दो शातिर शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस कार्यवाही-

दिनांक 22.06.2026 को थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान वाहन संख्या सं0 BR24GC4673 महिन्द्रा बोलेरो पिकअप से अवैध 18 पेटी देशी शराब ब्ल्यू लाईम एवं 38 पेटी किंगफिशर स्ट्रांग बीयर बरामद कर मौके से दो शातिर शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किये गये अभियुक्त की पहचान 1. प्रिंस कुमार यादव पुत्र नंद कुमार सिंह उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम खेलड़िया थाना विक्रमगंज जन0 रोहतास बिहार, 2. शुभम कुमार पुत्र स्व0 अनिल निवासी सखनुसराय , सासाराम , थाना नगर जन0 रोहतास बिहार उम्र 19 वर्ष के रुप में हुई। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना सैयदराजा पर मु.अ.सं. 197/2026 धारा 60/63 उ0प्र0 उत्पाद शुल्क /आबकारी अधिनियम थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. प्रिंस कुमार यादव पुत्र नंद कुमार सिंह उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम खेलड़िया थाना विक्रमगंज जन0 रोहतास बिहार

2. शुभम कुमार पुत्र स्व0 अनिल निवासी सखनुसराय , सासाराम , थाना नगर जन0 रोहतास बिहार उम्र 19 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0.197/2026 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

(गिरफ्तार अभियुक्त के अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पुलिस द्वारा आवश्यक जानकारी की जा रही है।)

बरामदगी विवरण-

1.01 मोबाइल फोन

2. 01 वाहन संख्या सं0 BR24GC4673 महिन्द्रा बोलेरो पिकप

3. 18 पेटी देशी ब्ल्लू लाईम शराब (प्रत्येक पेटी मे 45 पाऊच एवं प्रत्येक पाऊच मे 200 ML

6. 38 पेटी किंगफिशर स्ट्रांग बीयर (प्रत्येक पेटी मे 24 केन एवं प्रत्येक केन मे 500 ML